पारि–पुनरूद्धार (इको रिस्टोरेशन) और संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

सतत् भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रणाली

जीआईजेड एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सतत् भूमि और पारितंत्र प्रबंधन के लिये इको–रेस्टोरेशन और संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की है। यह मुख्य रूप से इको–रेस्टोरेशन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ग्रामीण स्तर के संस्थानों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।

स्थानीय समुदायों की आजीविका मुख्यत: प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक संसाधनों पर समुदायों के कार्यकलापों को ग्राम स्तरीय संस्थान नियंत्रित करते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्थानीय प्रबंधन एवं संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमजोर ग्रामीण संस्थानों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। भूमि, जल, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, अति उपयोग, अति–दोहन एवं गैर जिम्मेदाराना प्रबंधन से हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण जैवविविधता के अत्यधिक ह्रास एवं पारितंत्र में विघटन को प्रदर्शित करता है। जब पारितंत्र अपना स्व–जीर्णोद्धार करने को सक्षम नहीं होता तब पारिस्थितिकी पुनरूद्धार आवश्यक हो जाता है। समुदाय–आधारित संस्थानों की भागीदारी के माध्यम से क्षरित पारितंत्र का पुनरूद्धार किया जा सकता है।

समुदाय आधारित संस्थानों से हम क्या समझते हैं ?

एक समुदाय द्वारा नियंत्रित सभी संस्थानों के लिए सामुदायिक संस्थान एक सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द है। सामुदायिक संस्थान साधारणतया दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

(क) संस्थान जैसे कि ग्राम विकास समिति (वी.डी.सी.) जिनका समुदाय स्तर पर ''सार्वजनिक'' कार्यों का निर्वहन करने का दायित्व होता है तथा समस्त स्थानिक आबादी के हितों के प्रतिनिधित्व को उन्हें ध्यान में रखना होता है, तथा

(ख) सामान्य रुचि समूह (सी.आई.जी.) जिनका कार्य ''निजी'' प्रकार का होता है तथा वह अपने सदस्यों के व्यक्तिगत हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सामुदायिक संस्थानों को मजबूत क्यों करें ?

1. यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दीर्घकालिक सफलता में मदद करता है।
2. यह मौजूदा आपसी मतभेदों को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए समुदाय को सशक्त बनाने में मदद करता है।
3. यह प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी के समान अवसर प्रदान करने के साथ–साथ समानता को भी बढ़ावा देता है।
4. संसाधन उपयोगकर्ताओं की आर्थिक और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उनके कार्यों के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
5. यह प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए स्थिरता और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है।
6. समुदाय की आवश्यकताओं और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझना।
7. यह कम लागत और संसाधन अनुकूल अनुकूलन विकल्पों की पहचान करने में मदद करता है।
8. सामुदायिक संस्थानों और स्थानीय संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भागीदारीपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश विकसित करने के लिए स्थानीय समुदाय के सदस्यों और स्थानीय संस्थानों का समावेश करना।
9. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिए तकनीकी जानकारी का प्रसार करने के लिए हितधारकों के बीच कुशल संचार और ज्ञान साझा करना।

सामुदायिक–आधारित संस्थानों (सी.बी.आई.) के प्रकार

1. ग्राम विकास समितियाँ (वी.डी.सी.), ग्राम विकास हेतु एक ग्राम की सामूहिक शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी संस्थान है। यह संस्था समुदाय की सामूहिक शासन व्यवस्था में सर्वमान्य नियम, उनके अनुपालन की जिम्मेवारी तथा समुदाय के सभी सदस्यों के हित के लिये सामूहिक कार्यवाही संचालित करता है।
2. पारस्परिक हित समूह (सी.आई.जी.), समुदाय के कुछ सदस्यों के वह संस्थान हैं जो एक साँझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ आगे आते हैं।
3. उपयोगकर्ताओं के संगठन (यू.ए.), वह पारस्परिक हित समूह हैं, जिन्हें संगठन के सदस्यों से एकत्रित किए गए संसाधनों के साथ सार्वजनिक तथा/या निजी रकम द्वारा निर्मित सुविधा/परिसर के संचालन एवं रखरखाव के लिए स्थापित किया जाता है।
4. माइक्रो–फाइनेंस संस्थान (एम.एफ.आई) बचत एवं ऋण देने में विशेषज्ञ सामुदायिक स्तर के पारस्परिक हित समूह हैं। साधारणतया ये समूह स्वयं सहायता समूह हैं।
5. सामुदाय आधारित संगठनों (सी.बी.ओ.) का नेटवर्क, एक साथ ग्राम विकास समितियों तथा पारस्परिक हित समूह में सम्मलित हो सकते हैं। पारस्परिक हित समूह अधिक रूप से प्रचलित हैं। विभिन्न प्रकार के पारस्परिक हित समूहों के महासंघ को अक्सर ''व्यवसायिक संघ'' के रूप में जाना जाता है।

सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के उपाय

1. समुदाय में वर्तमान परिस्थितियों से व्याप्त असंतोष को संस्था के विकास के लिए पहल तथा/या उत्साहित करने के लिए प्रयुक्त किए जाना।
2. असंतोष को विशिष्ट समस्याओं के संदर्भ में संस्थान, नियोजन एवं कार्य में केन्द्रित एवं प्रसारित करना।
3. ऐसा असंतोष जोकि सामुदायिक संस्थानों में प्रारम्भ हुआ हो या बरकरार हो उसे समुदाय में व्यापक रूप से सांझा किया जाना।
4. सामुदायिक संस्थानों को समुदाय के प्रमुख उप–समूहों द्वारा नामित व मान्य नेतृत्वकर्ताओं (औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों) को सम्मिलित करना।
5. संस्थान के पास उच्च स्वीकार्यता के लक्ष्य एवं कार्यपद्धति होनी चाहिए।
6. संस्थान के कार्यक्रम में भावात्मक विषयवस्तु के कुछ क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
7. समुदाय में विद्यमान विचार एवं अव्यक्त इच्छा शक्ति का उपयोजन संस्थान को करना चाहिए।
8. संस्थान को संस्थान के अंतर्गत एवं संस्थान व समुदाय दोनों के मध्य सम्पर्क संचार की सक्रिय एवं प्रभावी पद्धतियों का विकास करना चाहिए।
9. संस्थान को सहयोगी कार्य में एक साथ किए गए समूहों को सहायता एवं सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए।
10. संस्थान को अपने नियमित कार्य से व्यवधान के बिना अपने क्रिया कलापों में लचीलापन दिखाना चाहिए।
11. समुदाय में विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार संस्थान को इसके कार्य में गति विकसित करनी चाहिए।

सामुदायिक संस्थान आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को चिन्हित करने में सहायता करते हैं, इन आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के लिए कार्य करने के लिए आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति का विकास करते हैं, इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों के संबोधन के लिए संसाधनों की खोज, उनके अनुसार उचित कारवाई, तथा ऐसा करने के लिए समुदाय में सहकारिता एवं सहयोगी मनोभावों व पद्धतियों को विकसित करते हैं।

अनुकूलन हस्तक्षेपों के द्वारा संस्थान सुदृढ़ीकरण : जिला मंडला (मध्य प्रदेश) के निवास ब्लॉक का सफल केस अध्ययन

- कृषि–वानिकी के प्रसार, वन क्षरण को रोकने, मृदा नमी में वृद्धि करने तथा मृदा क्षरण की रोकथाम के लिए सुदृढ़ ग्राम संस्थान ने सक्रिय रूप से वनों के आस–पास एवं ढालों में वृक्ष रोपित किये।
- मृदा–क्षरण को रोकने एवं दीर्घ अवधि तक मृदा में नमी स्तर बनाये रखने के लिए ऊपरी खेतों में पत्थरों की निकासी व पत्थर की मेढ़ का निर्माण किया। पत्थर की निकासी और मेढ़ का उपयोग अवरोध के रूप में किया गया, जोकि खेतों में बहते जल के वेग को कम कर देते हैं। यह वर्षाजल को मृदा के भीतर जाने देता है जिससे उपजाऊ शीर्ष मृदा का क्षरण कम हुआ।
- बीज प्रतिस्थापन (जैसे : बाजरे की किस्मों, कोदो व कुटकी) के माध्यम से पारंपरिक फसलों की गुणवत्ता में सुधार तथा बीज ड्रिल एवं पंक्तिबद्ध बुवाई जैसी उन्नत कृषि तकनीकियों के माध्यम से मकई एवं धान जैसी प्रचलित फसलों की गुणवत्ता में सुधार किया गया।
- सुदृढ़ ग्राम संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश के मंडला जिले के परियोजना क्षेत्र में 500 हैक्टेयर से अधिक वनों को सक्रिय रूप से प्रबंधित एवं संरक्षित किया गया।
- पत्थर की निकासियों एवं पत्थर की मेढ़ों ने मृदा संरक्षण में सुधार किया है। परियोजना क्षेत्र में आधे से ज्यादा लाभार्थियों ने अपनी उपज में सुधार किया है तथा एक फसल चक्र के दौरान वे एक फसल के स्थान पर दो फसलों को उगाने में कामयाब रहे हैं। पत्थर की निकासी और मेढ़ के बिना काम करने वाले किसानों की तुलना में वार्षिक औसत आम में 40% तक की वृद्धि हुई।
- उन्नत कृषि तकनीकियों ने बाजरा एवं मकई में 19 प्रतिशत की उत्पादकता वृद्धि, तथा धान में 30 प्रतिशत उत्पादकता वृद्धि दर्ज की गयी। इससे 20 प्रतिशत तक की औसत आय में वृद्धि हुई है तथा जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता में कमी हुई।

स्रोत : पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए संस्था (FES) से साभार

स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण

स्वयं सहायता समूह क्या है ?

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) व्यक्तियों का एक अनौपचारिक संघटन है, जो अपनी आजीविका में सुधार के तरीकों को तलाशने के लिए संगठित होकर प्रयास करते हैं। इसको एक स्व–शासित, एक दूसरे के साथियों द्वारा नियंत्रित लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनकी एक समान सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि होती है तथा जो एक समान उद्देश्य को एकजुट होकर निष्पादित करने की इच्छा शक्ति रखते हैं।

स्वयं सहायता समूह को कैसे प्रारंभ करें ?

स्वयं सहायता समूह के गठन का प्रथम चरण

- गाँव में प्रत्येक परिवार का भ्रमण करना तथा उनसे वार्तालाप करना।
- यदि लोग परिचित हैं, तो उन्हें अपने बारे में बताएं। गाँव में वरिष्ठ व्यक्तियों से बातचीत कर, उन्हें के महत्व को समझा करके तथा उनकी सहायता के लिए निवेदन करना।
- जब कभी भी दौरा किया जाता है महिलाओं से वार्तालाप करना।
- परिवार के विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना।

स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए परिवारों का दौरा करते समय कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

प्रत्येक परिवार से निम्न प्रश्न पूछें :

- क्या परिवार के पास केवल एक ही कमाने वाला सदस्य है ?
- क्या परिवार में पीने का पानी दूरस्थ स्थल से लाया जाता है ?
- क्या परिवार में कोई हमेशा से बीमार सदस्य है ?
- क्या परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते ?
- क्या उनका घर कच्ची सामग्रियों से निर्मित है ?
- क्या वह अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं ?

यदि उपर्युक्त में से तीन या चार का उत्तर हाँ हो, तो उस परिवार को निर्धन मान सकते हैं तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूहों का गठन कैसे किया जाता है ?

परिवारों से वार्तालाप करने के दौरान एक विशेष प्रकार का पारस्परिक स्नेह एकरूपता, अनेकों परिवारों के मध्य पहले से मौजूद होती है जैसे

- निर्धनता का एक जैसा अनुभव
- एक जैसी रहन–सहन परिस्थितियाँ
- एक जैसी आजीविका
- एक समुदाय या जाति
- एक मूल निवास

इस चरण में यह निष्कर्ष ज्ञात करना आसान होता कि कौन से परिवार एक दूसरे के साथ आसानी से मेल–जोल कर सकते हैं।

समूह बैठकें कैसे आयोजित की जाती हैं ?

स्वयं सहायता समूह के गठन के पूर्व, समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं एवं गाँव के बुजर्गो के साथ एक बैठक करके। उन्हें स्वयं सहायता समूह के गठन की योजना को समझाना चाहिए। ग्रामीणों का सर्मथन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसे सामुदायिक भागीदारी कहते हैं। यह गाँव में कार्य करने के लिए स्वीकार्यता भी प्रदान करता है।

सबको सूचित कर स्पष्ट करें कि यह बैठक कुछ देने के लिए नहीं अपितु परिवारों को आगे आने तथा एक दूसरे की सहायता करने हेतु सामर्थ्य बनाने के लिए है।

स्वयं सहायता समूह कैसे विकसित होते हैं ?

बुजर्गों एवं समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं के साथ बैठक के पश्चात, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बैठक बुलायें। उपयुक्त दिवस पर प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को बैठक के लिए चिन्हित किया जाता है। यह स्टार्ट–अप बैठक कहलाती है।

सदस्यता

प्रारंभिक बैठकों के दौरान, निम्न घटनाएं घटित हो सकती हैं :

- कुछ सदस्य छोड़कर जा सकते हैं
- कुछ नवीन सदस्य आ सकते हैं।
- बैठकों के लिए सदस्य धीरे–धीरे विषयों का चयन करना सीख सकते हैं।
- सदस्य बैठकों को संचालित करना सीख सकते हैं।
- सदस्य दस्तावेज एवं अभिलेखों के महत्व को सीखते हैं।
- सदस्य एकजुट होकर रहना सीखते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करते हैं।

नेतृत्व : यह स्वयं सहायता समूह के उचित एवं सक्षम नेतृत्व हेतु अति महत्वपूर्ण है। समूह के एक सदस्य को नेतृत्व करने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है ?

समूह के अंतर्गत निम्न प्रश्नों को पूछना सर्वोत्तम तरीका है:

प्रश्न	उत्तर
स्वयं सहायता समूह के लिए समस्त निर्णय किसे लेने चाहिए ?	सभी सदस्यों को निर्णय लेने चाहिए।
स्वयं सहायता समूह से किसको हित–लाभ प्राप्त होना चाहिए ?	सभी सदस्यों को हित–लाभ प्राप्त होना चाहिए।
कार्य किसे करना चाहिए ?	सभी को कार्य को सांझा करना चाहिए।
कार्य को कैसे सांझा किया जाना चाहिए ?	बारी–बारी से प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने पर सहमति होनी चाहिए।

इस तरीके से, सदस्य बारी–बारी से समूह के कार्य करने के उत्तरदायित्व को समझ जाते है। इससे लेखा–जोखा रखना तथा बैठकें आयोजित करना, मुख्य क्रियाकलापों पर पहल करने से सदस्य के चयन में आसानी होती है।

स्वयं सहायता समूह कैसे कार्य करते हैं ?

स्वयं सहायता समूहों के कार्य करने के लिए निम्न साधारण नियमों की आवश्यकता होती है :

- परस्पर सहमति से बैठकों के आयोजन को तय करना।
- बैठकों के समय एवं स्थान का निर्णय करना।
- अनुपस्थिति के लिए जुर्माना तय करना।
- बचत की धनराशि पर सहमति बनाना।
- एक दूसरे को छोटे ऋण देना।
- बैंको से ऋण लेना और ऋण अदा करना आदि।

स्वयं सहायता समूहों की उचित कार्य–पद्धति के लिए सदस्यों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रशिक्षण के निम्नांकित क्षेत्र सदस्यों के लिए लाभकारी हो सकते हैं :

सामान्य गणित, लेखा–जोखा, धन उधार देना, ऋण लेना, ऋण भुगतान की मूल बातें तथा सामाजिक पहलू जैसे महिला सशक्तिकरण आदि।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की सबसे प्रभावी विधि

उन्हें एक अच्छे से कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूह का दौरा करवाना चाहिए यह उन्हें उसके सदस्यों से सहज वार्तालाप का अवसर प्रदान करना है।

स्वयं सहायता समूहों की विशेषताएं एवं कार्य

- एक स्वयं सहायता समूह का आदर्श आकार 10–20 सदस्यों का होता है।
- एक परिवार से मात्र एक सदस्य होना चाहिये।
- समूह या तो पुरुषों का होगा या महिलाओं का।
- महिलाओं के समूह अक्सर उत्कृष्ट रूप से कार्य करते हुए पाए गए हैं।
- सदस्यों की एक समान सामाजिक एवं वित्तीय पृष्ठभूमि होनी चाहिये।
- समूह को नियमित अंतराल पर मिलना चाहिए।
- बैठकों व अन्य कार्यकलापों में समूह सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिये।

स्वयं सहायता समूह द्वारा लेखा–जोखा

सभी लेन–देन के लिए साधारण एवं स्पष्ट लेखा–जोखा रखा जाना चाहिए। यदि कोई भी सदस्य लेखा–जोखा रखने में सक्षम न हो, तब समूह के द्वारा किसी अन्य को निम्न कार्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। निम्न पुस्तिका/पत्रिकाओं का रखरखाव भी करना चाहिए:

- कार्यवृत पुस्तिका
- बचत एवं ऋण पंजिका
- साप्ताहिक पंजिका
- सदस्यों की पास–बुक

स्वयं सहायता समूह के कार्य

- बचत एवं मितव्यय
- आंतरिक ऋण देना
- समस्याओं पर चर्चा करना

स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ कर समूह निम्न रूप से लाभान्वित हो सकते हैं :

- बचत बैंक खाते खोलना
- स्वयं सहायता समूह द्वारा आंतरिक ऋण देना
- स्वयं सहायता समूह का आंकलन
- स्वयं सहायता समूह के आंकलन के लिए जाँच–सूची

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास में मुख्य उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यद्यपि स्वयं सहायता समूह के गठन में सरकारी तंत्र की मुख्य भूमिका होती है परन्तु गैर सरकारी संगठनों का भी इन समूहों के गठन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गैर सरकारी संगठनों के बाद स्थानीय महिलायें ही अन्य महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिये प्रेरित कर सकती हैं। किसी समूह के लम्बे समय तक सफलता पूर्वक कार्य के लिये समूह के सभी सदस्यों में आपसी विश्वास एवं भाईचारे की भावना आवश्यक होती है।

सामुदायिक संस्थाओं का सुदृणीकरण पारितंत्र के पुनरूद्धार एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून, पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ईएसआईपी परियोजना क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों को इको–रेस्टोरेशन और संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत् भूमि और पारितंत्र प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथा को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है।

पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना (ई.एस.आई.पी.) का संक्षिप्त विवरण

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना (ई.एस. आई.पी) सतत् भूमि और पारितंत्र प्रबंधन और जीविका लाभ के माध्यम से अनुकूलन आधारित शमन के लिए मॉडल का प्रदर्शन करके ग्रीन इंडिया मिशन के लक्ष्यों का समर्थन करता है। ई.एस.आई.पी जैवविविधता और कार्बन स्टॉक सहित प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए नए उपकरण और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। परियोजना के मुख्य घटक हैं : वानिकी और भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों में सरकारी संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना, वन गुणवत्ता में सुधार करना, और सतत् भूमि और पारितंत्र प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रणालियों को बढ़ाना। ई.एस.आई.पी. को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग और मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के चुनिन्दा भूभागों में क्रियान्वयित की जा रही है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का संक्षिप्त विवरण

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। यह राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च संस्था है जो वानिकी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को बढ़ावा देता है। इसके 9 अनुसंधान संस्थान : शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (जोधपुर), वन अनुसंधान संस्थान (देहरादून), हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान (शिमला), वन जैवविविधता संस्थान (हैदराबाद), वन उत्पादकता संस्थान (राँची), वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान (कोयम्बटूर), काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (बेंगलुरू), वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (जोरहाट) और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (जबलपुर) है। इसके 5 केंद्र अगरतला, आइजोल, प्रयागराज, छिंदवाड़ा एवं विशाखापट्टनम में स्थित हैं। प्रत्येक संस्थान अपने अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों में वानिकी क्षेत्र में अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा का निर्देशन और प्रबंधन करता है।

प्रकाशित :

ई.एस.आई.पी. – परियोजना कार्यान्वयन इकाई
जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन प्रभाग
भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्
पो.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006
वेबसाइट : www.icfre.gov.in

कॉपीराइट@ICFRE, 2020

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

परियोजना निदेशक, पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
पो.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006
फोन : 0135–2224831
ई–मेल : projectdirectoresip@gmail.com

परियोजना प्रबंधक, पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
पो.ओ. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248006
फोन : 0135–2224803, 2750296, 2224823
ई–मेल : rawatrs@icfre.org

Design & Print
Saraswati Press # 7055053333